# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः–मुसप्र/राज.स्वा.वि.व/भू आ/2014/504 दिनांकः–10/7/14

## आदेश

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 7(31)नविवि/3/2013 जयपुर दिनांक 04.10.2013 के द्वारा आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना के सैक्टर–11 में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को पूर्व में आवंटित 71,000 वर्ग मीटर भूमि के समीप 50,000 वर्ग मी0 अतिरिक्त भूमि के आवंटन की स्वीकृति एतत्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि को नियमानुसार निर्धारत प्रक्रिया के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन कराकर आवंटन की जावें। तद्उपरान्त दिनांक 27.01.2014 को पुनः आवासन मण्डल को निर्देशित किया गया कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को आवंटन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि खेल मैदान हेतु ही आरक्षित है एवं विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि का उपयोग खेल मैदान एवं जिमनेजियम में ही लिया जाना है। इसलिये भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्कता नही है।

उप आवासन आयुक्त वृत्त–प्रथम, जयपुर के प्रस्ताव पर दिनांक 09.07.2014 को सम्पत्ति आवंटन समिति के सदस्यों द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को प्रताप नगर योजना के सेक्टर–11 में उपलब्ध 50,000 वर्ग मी0 भूमि वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर, लीज राशि, विविध राशि के अतिरिक्त नगर निगम जयपुर को देय 15 प्रतिशत राशि पर राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 04.10.2013 व 27.01.2014 की पुष्टि बाई सरकुलेशन से इस शर्त पर की गई कि आमजन को भी इसकी सुविधा प्रदान की जाये।

(आनन्द कुमार)
आवासन आयुक्त

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. कुल सचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर–18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर–302033
4. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र कमांक प.7(31)नविवि/3/2011 दिनांक 04.10.2013, 27.01.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
5. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार /मुख्य अभियन्ता(मु0)/प्रथम /द्वितीय/ निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त वृत्त–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में बाई सरकुलेशन से किये गये अनुमोदन की पुष्टि आगामी सम्पत्ति आवंटन समिति की विधिवत बैठक में करवाई जावें।
8. आवासीय अभियन्ता खण्ड–चतुर्थ राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

N.S.Negi pc 2 501\F:\desktop newly\Negi letter-3 01-01-14.docx